न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री सीताराम जाट, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 21 /2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 29

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
एसके फाइनेंस लि. क्षेत्रीय कार्यालय जी–1 एवं 2, न्यू मार्केट,खासा कोठी सर्किल जयपुर, जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुशील गोयल	बनाम	1. श्री बजरंगलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री भंवरलाल शर्मा, निवासी–89, ब्रम्हणों का मौहल्ला, मोरेड़,मकराना, जिला–डीडवाना–कुचामन 2. सहऋणी श्रीमती ममता पत्नी बजरंगलाल शर्मा, निवासी– 89 ब्राहम्णों का मौहल्ला, मौरेड़, मकराना,डीडवाना–कुचामन 3. श्री पवन शर्मा पुत्र स्व. श्री भंवर लाल शर्मा, निवासी–89 ब्राहम्णों का मौहल्ला, मौरेड़, मकराना,डीडवाना–कुचामन 4. श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री भंवर लाल शर्मा, निवासी– 89 ब्राहम्णों का मौहल्ला,मौरेड़, मकराना,डीडवाना–कुचामन 5. श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र स्व. श्री भंवर लाल शर्मा, निवासी– 89 ब्राहम्णों का मौहल्ला,मौरेड़, मकराना,डीडवाना–कुचामन 6. गारन्टर श्री गोपाल लाल पुत्र श्री पुसाराम माली, निवासी– 208, माली मौहल्ला, भिलावट, त0 किशगनढ़, जिला–अजमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ऋणि की बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने के संबंध में।

आदेश

दिनांक: 20/09/2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 1109500/–(अक्षरे ग्यारह लाख नौ हजार पांच सो रूपये मात्र) दिनांक 13.03.2019 को ऋण उपलब्ध करवा[illegible] प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पति– प्लाट पट्टा नम्बर 10, ग्राम [illegible] पंचायत बिल्लू, पंचायत समिति मकराना, जिला डीडवाना–कु[illegible] स्व. श्री भंवरलाल शर्मा स्थित है। जो प्रार्थी बैक के प[illegible] आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:32:40 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक [illegible] नियमानुसार भुगतान नही चु[illegible] जिसकी वजह [illegible] को दिनांक 16.12.2019 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया [illegible]

जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना–कुचामन (मोहर)

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **रूपये 2144362/–(अक्षरे इक्कीस लाख चमालीस हजार तीन सौ बासठ रूपये मात्र) दिनांक 11.10.2022 तक शेष देय व दिनांक 11.10.2022 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 13.10.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नही करवायी गई व ना ही बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि रूपये **2144362/–(अक्षरे इक्कीस लाख चमालीस हजार तीन सौ बासठ रूपये मात्र) दिनांक 11.10.2022 तक शेष देय व दिनांक 11.10.2022 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया हैं।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता की आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :– **प्लाट पट्टा नम्बर 10, ग्राम मोरेड़, ग्राम पंचायत बिल्लू, पंचायत समिति मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन, कुल क्षेत्रफल208.86 वर्गगज मालिक स्व. श्री भंवरलाल शर्मा स्थित है।** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसांर ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से रूपये **1109500/–(अक्षरे ग्यारह लाख नौ हजार पांच सो रूपये मात्र) दिनांक** 13.03.2019 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार हैः– प्रतिभूति आरथी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों [illegible] पालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या [illegible] मजि[illegible] उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा [illegible] सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को [illegible] पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अ[illegible] प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक डीडवाना–कुचामन को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:32:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति– प्लाट पट्टा नम्बर 10, ग्राम मोरेड़, ग्राम पंचायत बिल्लू, पंचायत समिति मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन, कुल क्षेत्रफल 208.86 वर्गगज मालिक स्व. श्री भंवरलाल शर्मा स्थित है।** जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

(सीताराम जाट, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:32:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner